

समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के उप संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1021/खाद्य दिनांक-03.02.2015 द्वारा माह-फरवरी, 2015 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य, दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण करना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी० पी० एल०, अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल, अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1021/खाद्य दिनांक- 03.02.2015 द्वारा माह फरवरी, 2015 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह- जनवरी, 15 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि० की सं०	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज०वि०प्र०वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	48195	ज०वि०प्र०-132536.250 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल-137036.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप, मुरलीगंज 2.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	116834.000  20202.250 कुल- 137036.250
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10885	ज०वि०प्र०- 24491.250 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्था 4529.000 कुल- 47770.250	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 47770.250
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	33427	ज०वि०प्र०- 91924.250. हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल-97274.250.	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 97274.250
04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28677	ज०वि०प्र०- 78861.750	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे० जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	29120.000 49741.750 कुल- 78861.750
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19493	ज०वि०प्र०- 53605.750	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 53605.750

२

06	धैलाद प्रखण्ड	73129	22298	ज0वि0प्र0-61319.500 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल- 65819.500	1.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 65819.500
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43555	ज0वि0प्र0-119776.250 सरकारी संस्था- 50.000 कुल-119826.250	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरुप,मुरलीगंज 2.मे0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज।	109283.750 10542.500 कुल-119826.250
08	मुरलीगंज नगर पं0	222936	6673	ज0वि0 प्र0-15014.250 हॉकर (20X750) 15000.000 कुल- 30014.250	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरुप,मुरलीगंज	कुल-30014.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52282	ज0वि0प्र0-143775.500 हॉकर (1X750) 750.000 कुल-144525.500	1.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड। 2.मे0 मोतीलाल रामस्वरुप,मुरलीगंज	130258.250 14267.250 कुल:-144525.500
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	38146	ज0वि0प्र0-104901.500 हॉकर (16X750) 12000.00 सरकारी संस्था- 350.000 कुल-117251.500	1.मे0चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-117251.500
11	ग्वालपाड़ा	95295	25135	ज0वि0प्र0-69121.25 हॉकर (4X750) 3000.000 कुल-72121.250	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 72121.250
12	बिहारीगंज	101655	29795	ज0वि0प्र0- 81936.250 हॉकर (29X750) 21750.00 कुल-103686.250	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल-103686.250
13	आलमनगर	129226	38483	ज0वि0प्र0-105828.250 हॉकर (7X750) 5250.000 कुल-111078.250	1.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल-111078.250
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज0वि0प्र0- 88101.750 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल- 89601.750	1.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 89601.750
15	पुरैनी प्रखंड	77792	20645	ज0वि0प्र0- 56773.750 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल-58273.750	1.मे श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	32751.000 25522.750 कुल-58273.750
कुल योग:-		1526646	449926	1326746.500		1326746.500

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु उपलब्ध-112टैकर(112X12000)=1344000.000लीटर किरासन तेल को प्रखंडवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।
3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली0 एवं पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा0 प्र0 दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित 850 ली0 किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी थोक किरासन तेल विक्रेता उदाकिशुनगंज से अनेक मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-
1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
  2. सदर अस्पताल -100 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
  3. कोषागार+गार्ड मधेपुरा -40 लीटर लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
  4. बी0 एन0 मंडल, वि0 वि0 मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

A

5. व्यवहार न्यायालय मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
6. समाहरणालय मधेपुरा (जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित) -1489 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
7. पुलिस अधीक्षक -850 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
8. आवा0अबु0जाति वि0भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।
9. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, उदाकिशुनगंज -200 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
10. उप कारा उदाकिशुनगंज -150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 4929 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उद्योग संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समाहरणालय मधेपुरा/अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा/अल्लसंख्यक कल्याण छात्रावास/कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा को उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, सदर अस्पताल मधेपुरा द्वारा कोषागार+गार्ड हेतु उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा द्वारा सुदूरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, उदाकिशुनगंज हेतु उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा। उपरान्त किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1021/खाद्य दिनांक-03.02.2015 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकटों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संचारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावृत्त हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफलोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देगें और इसके पश्चात् थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचकर उसका भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है

२

कि सरकार के निदेश के आलोक में पंचायतवार रोस्टर तैयार करेंगे और रोस्टर के अनुसार ही थोक विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर किरासन तेल के वितरण में हुई किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए, उसके विरुद्ध कार्रवाही की जायेगी।

7. संगत विभागीय निदेश के अनुपालन में उपावृत्त किरासन तेल को नियमानुसार शत प्रतिशत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

8. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 एवं पत्रांक-1842/खाद्य,दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा कार्ड के आधार पर बी0पी0एल0/अन्वयोदय/ए0पी0एल0 परिवारों को सरकार द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किरासन तेल का वितरण किया जायेगा। लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों के लिए आवृत्त किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। थोक किरासन तेल विक्रेता से ज0वि0प्र0 वि0/ किरासन तेल ठेला भेण्डर को आपूर्ति किये जाने वाले किरासन तेल एवं ज0वि0प्र0वि0/ठेला भेण्डर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जाने वाला वितरण कार्य का सतत निरीक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। विभागीय निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।


9. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में आहत समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि घैलाढ़ प्रखंड, नगर परिषद, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज0वि0प्र0वि0/ठेला भेण्डर को स्वयं द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. विभागीय निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को उपावृत्त किरासन तेल कुल सचिव, बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के आदेशानुसार वितरण किया जायेगा। कुल सचिव संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर सीधे किरासन तेल प्राप्त करेंगे।

11. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक...157...आ0, मधेपुरा दिनांक...13...02-15

प्रतिलिपि- सभी थोक किरासन तेल विक्रेता, मधेपुरा जिला/संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उपनिदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।